निविदा की शर्ते

(क) तकनीकी बीड :–

1.

(i)	बोलेरो एसी/नन एसी
(ii)	टाटा सूमो गोल्ड एसी/नन एसी
(iii)	टॉप मॉडल स्कॉर्पियो एसी

2. वाहन मालिक का चरित्र प्रमाण पत्र।
3. चालक का चरित्र प्रमाण पत्र।
4. निविदा के साथ **Rs. 10,000.00** (दस हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, रामगढ़ के नाम से संलग्न करना अनिवार्य है।
5. तकनीकी बीड में निविदा के अन्य शर्तों का एकरारनामा देना होगा।
6. निविदादाता को अद्यतन आयकर रिटर्न एवं पैन कार्ड की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(ख) वित्तीय बीड :–

1. निर्धारित दर, ईंधन, चालक, रात्रि ठहराव, निबंधन एवं रोड टैक्स रखरखाव आदि सहित होंगे तथा निविदादाताओं को वित्तीय बीड में वाहन का नाम, मासिक दर 1500 कि0मी0 प्रतिमाह एवं प्रति दिन 10 घंटा के लिए तथा प्रत्येक अतिरिक्त 100 कि0मी0 का दर प्रत्येक माह अंकित कर बंद लिफाफे में जमा करना अनिवार्य होगा।
2. वाहन का नाम, प्रति दिन का दर 80 कि0मी0 एवं 10 घंटे के लिए तथा अतिरिक्त 10 कि0मी0 का दर तथा अतिरिक्त 1 घंटे का दर देना होगा।
3. टॉप मॉडल स्कॉर्पियो का दर चालक रहित एवं ईंधन रहित देना होगा।

अन्य शर्ते :–

1. तकनीकी बीड एवं वित्तीय बीड अलग–अलग मुहरबंद लिफाफे में रखकर दोनों को एक बड़े लिफाफे में सीलबंद कर उपायुक्त रामगढ़ के नाम से दिनांक 23.7.2015 को अपराह्न 3:00 बजे तक जिला जनसम्पर्क शाखा में जमा किया जा सकता है। निर्धारित समय के उपरान्त कोई भी निविदा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
2. तकनीकी बीड में अन्य शर्तों के साथ सफल निविदादाताओं के वित्तीय बीड पर विचार किया जाएगा।
3. क्रय समिति के समक्ष दर निर्धारित किया जाएगा।

4.निविदा रद्द/स्थगित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

5.सफल आवेदन/आपूर्त्तिकर्त्ता द्वारा करार के दौरान कोई भी वाहन जो 03 वर्ष (1095 दिन) से अधिक पुरानी हो, वाहन की आपूर्ति नहीं की जाएगी।

6.आपूर्त्ति की जानेवाली वाहन उचित गुणवत्ता (Excellent Condition) वाली होनी चाहिए। वाहन की आन्तरिक साज–सज्जा यथा–सीट कवर, तौलिया, पढ़ने के लिए बिजली, फुटमैट आदि, उत्कृष्ट क्वालिटी का होना आवश्यक है।

7. वाहन के टायर, बैट्री, हैडलाईट बीम, ब्रेक, इन्डिकेटर, वाईपर, शीशा, दरवाजे एवं अन्य समस्त एसेसरीज उचित एवं उत्कृष्ट गुणवत्ता के होने चाहिए।

8.वाहन नियमानुसार परिवहन कार्यालय में पंजीकृत होनी चाहिए तथा करार की अवधि में वाहन के समस्त प्रपत्र यथा–पंजीयन, परमिट, फिटनेस, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र आदि वैध होने चाहिए। पंजीयन शुल्क, फिटनेस शुल्क, मोटर वाहन कर, बीमा, चालक/स्टाफ की वर्दी (सफेद सफारी सूट, पी कैप) चालक लाईसेन्स आदि पर व्यय सभी प्रकार के संबंधित व्यय आपूर्त्तिकर्त्ता द्वारा वहन किये जाएँगे।

9.वाहन पर तैनात किए जाने वाला चालक वैध व्यावसायिक लाईसेन्स धारक होना चाहिए तथा चालक का ड्यूटी के दौरान नियमानुसार वर्दी में होना आवश्यक है। वाहन का चालक चलाने की दृष्टि से हृष्ट–पुस्ट (Medically Fit) एवं पर्याप्त अनुभवी और वाहन चलाने में दक्ष होना चाहिए। चालक का आचरण मृदुभाषी, अनुशासित होना आवश्यक है।

10. संबंधित विभाग मार्ग में होने वाली किसी प्रकार की क्षति अथवा अप्रत्याशित घटना/दुर्घटना के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। मार्ग में दुर्घटना की स्थिति में किसी प्रकार के चिकित्सा बीमा, मुआवजा एवं अन्य विधिक आवश्यकताओं का अनुपालन संबंधित आपूर्त्तिकर्त्ता द्वारा किया जाएगा।

11. मार्ग/यात्रा के दौरान वाहन में किसी प्रकार की खराबी (Breakdown) होने पर आपूत्तिकर्त्ता को तत्काल अन्य वाहन की व्यवस्था अपने व्यय पर करनी होगी। यदि किसी समय आपूर्त्तिकर्त्ता वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करने में असफल रहता है तो संबंधित विभाग आपूर्त्तिकर्त्ता के व्यय पर वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करने के लिए अधिकृत होगा।

12. वाहन का प्रयोग जिला के भीतर एवं बाहर कहीं भी किया जा सकता है।

13. अन्य जिलों में वाहन के रात्रि विश्राम करने की स्थिति में रूपये 200.00 प्रति रात्रि की दर से रात्रि चार्जेज का भुगतान पृथक से किया जाएगा। यह भुगतान दैनिक दर पर वाहन नियोजित करने पर ही किया जाएगा।

14. वाहन में लॉग बुक के अतिरिक्त एक शिकायत/सुझाव पुस्तिका भी रखना आवश्यक होगा।

15. वाहन में नियमानुसार स्टेपनी, टूल किट, फार्स्ट एड बॉक्स, आग बुझाने का यंत्र (Fire extinguisher) भी आपूर्त्तिकर्त्ता द्वारा स्वयं के व्यय पर रखना आवश्यक है।

16. आपूर्त्तिकर्त्ता द्वारा प्रारूप 1 एवं 2 में दर का प्रस्ताव समर्पित किया जाएगा। वाहनों को मासिक दर के आधार पर 1500 कि0मी0 प्रति महिने के लिए प्रस्तावित दर उल्लेखित किया

जाना है। अगर किसी माह में 1500 कि0मी0 का पूर्ण उपयोग नहीं होता है तो वह अगले महीने में उपयोग किया जा सकेगा। इस माईलेज की गणना प्रत्येक वर्ष फरवरी में अथवा उपयोग के अंतिम महीने में की जा सकेगी। वाहन पूर्ण रूप से अधिकारी के नियंत्रण में होगा एवं प्रतिदिन औसतन 12 घंटे तक उपयोग लाया जा सकेगा। उसी प्रकार प्रारूप 2 में प्रतिदिन का दर 80 कि0मी0 के परिचालन के लिए एवं 10 घंटे उपयोग हेतु उल्लेखित किया जाना है।

17.भुगतान की रीति

1.	कार्य की पूर्त्ति पर संबंधित आपूर्त्तिकर्त्ता को भुगतान संबंधित विभाग द्वारा दैनिक/मासिक (जैसी भी स्थिति हो) आधार सामान्यतः 30 दिनों के भीतर किया जाएगा।
2.	आयकर नियमों के अनुसार संबंधित विभाग द्वारा भुगतान के समय आयकर की कटौती (टीडीएस) की जाएगी।

18. सेवा प्रदान करने में विलम्ब हेतु शास्ति/दर अनुबन्ध का निरस्तीकरण

निम्नलिखित अवसरों पर कार्यप्रभारित प्रतिभूति को जब्त करते हुए दर पंजीकरण को समाप्त कर दिया जाएगा–

1. यदि आपूर्त्तिकर्त्ता समय पर वाहन उपलब्ध कराने में विफल रहता है।

2. आपूर्त्तिकर्त्ता द्वारा प्रदान की जा रही सेवाएँ संतोषजनक नहीं है।

आवेदक का हस्ताक्षर

प्रारूप–1

क्र.सं.	वाहन का नाम	मासिक दर 1500 कि0मी0 प्रतिमाह एवं प्रतिदिन 10 घंटा के लिये	प्रत्येक अतिरिक्त 100 कि0मी0 का दर प्रतिमाह

आवेदक का हस्ताक्षर

प्रारूप–2

क्र.सं.	वाहन का नाम	प्रतिदिन का दर 80 कि0मी0 एवं 10 घंटे के लिए	अतिरिक्त 10 कि0मी0 का दर	अतिरिक्त एक घंटे का दर

आवेदक का हस्ताक्षर

<u>घोषणा–पत्र</u>

मैं सशपथ घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मेरे द्वारा वित्त आयुक्त, झारखण्ड की विज्ञप्ति संख्या...दिनांक.. के अन्तर्गत ''आवेदनकर्त्ताओं हेतु आवश्यक निर्देश'' एवं ''सामान्य नियम एवं शर्त्ते'' में विहित समस्त शर्त्तों एवं दरों का अवलोकन किया गया है और उसे भली प्रकार समझा है। मैं वित्त विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों पर अपनी वाहन दैनिक/मासिक आधार पर देने के लिए सहमत हूँ।

हस्ताक्षर
आवेदक का नाम..........................

जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, रामगढ़।

अपर समाहर्त्ता, रामगढ़।

उपायुक्त, रामगढ़।